(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005-II, Dated 7th June, 2013 as required under Article 348(3) of the Constitution of India)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF FORESTS

No. FFE-B-F(6)-11/2005-II/ Churdhar Dated Shimla-2, the 7th June, 2013

NOTIFICATION

Whereas a Notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) was issued by the Government vide Notification No. FFE-B-F(6)-28/99 dated 1st November 1999, to declare Churdhar as Wildlife Sanctuary comprising an area of 66.00 Sq.Km;

And whereas, the matter with regard to rationalization of the Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition Civil No. 337 of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others;

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order dated 7th May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, in respect of the Wildlife Sanctuaries and National Parks for which rationalization had been proposed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/2011, further directed the State Government to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 before issuance of the final Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act 1972, which procedure was duly followed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 01/02/2013, passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010), has permitted the State Government to issue final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, with regard to the proposed rationalization of boundaries of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh;

And whereas, as a consequence of rationalization of boundaries of Churdhar Wildlife Sanctuary, out of actual ground area of 66.70 sq. km, 11.18 sq. km area (comprising of 5 villages namely Bateori, Satani, Nohra, Chouras & Kanda) is hereby denotified. The remaining area of 55.52 sq. km shall constitute the Churdhar Wildlife Sanctuary after rationalization;

Now, therefore, the Governor Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 26A of the said Act is pleased to declare this remaining area of 55.52 sq. km of Churdhar as 'Churdhar Wildlife Sanctuary' with immediate effect for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment;

The limits of Churdhar Wildlife Sanctuary shall be as under:

Sr. No.	Name of Wildlife Sanctuary	Constituents	Boundaries of Churdhar Wildlife Sanctuary
	-	i) District	
1	,	ii) Forest	
		Division	
1.	Churdhar	i) Sirmaur &	NORTH: North boundary starts from
	Wildlife	Shimla	Bai Dhar near a bridge at ghat Godam
1	Sanctuary	ii) Shimla	on Patal Khad and follows the Bai
		(WL)	Dhar via point 2655 mtr. between
ĺ		Division	Bhairog PF inside and Sara PF
	,		outside upto turinig point on the path
			along the origin of Patal Khad near
		ĺ.	point 3108 mtr
			EAST: East boundary starts near
			point 3108 mtr. boundary moves
			towards the bifurcation of paths
			coming from Bhanal and Chur temple
			via point 3387 mtr. then excluding the
			Churdhar temple complex point 3647
l			mtr. further routes through Pal ka pass
			Districts boundaries Shimla & Sirmaur
			Uchchen tibba 3544 mtr. then along
			Uchchen dhar peak 3506 mtr. along
			the path / Aini dhar Kakralani dhar
			then turns on Khur dhar separating
			the water shed of Renundar ka Khala
			inside & Bairbo ka Khala outside upto point 2249 mtr.
			point 2249 mil.

1/5

SOUTH: The boundary starts from point 2249 mtr. on Khurdhar excluding the cultivation of Chauras, Khilag and Ghalvari villages & along the boundary of Thanga RF via Kotiyan along the upstream Rana ka Khala excluding the private land of Sharyalta & Kauchuni ka Patthar & Shidal villages across the dhar & point 2481mtr. and Ghinna ka Khalla along the forest boundary excluding private lands both side of Barau dhar & village Khanatiyan & via peak 2700 mtr. further along DPF boundary excluding dehats of Satani, Dungsar villages & RF Batewari & then along the Haripur dhar Nohra road upto nalla below Marori then excluding the Kanda and adjoining villages cultivation & dehat upto Marka ka khalla and the same road.

WEST: The western boundary of the sanctuary starts Marka ka khalla and road on the ridge upto points 2962 then Julhasan tibba 3355 mtr., 3342mtr., 3394 mtr., on the District boundaries of Shimla & Sirmaur then slightly on the same boundary & then turns on Kokli dhar via point 2946 mtr. down to the Patal khad and starting point northen boundary Godam bridge.

This area is situated within the Geo-coordinates North Lat. $30^{0}54'44"N$ & Long. $77^{0}27'49"E$ East Lat. $30^{0}52'24"N$ & Long. $77^{0}29'45"E$ South Lat. $30^{0}48'39"N$ & Long. $77^{0}27'39"E$, West Lat. $30^{0}51'00"N$ & Long. $77^{0}23'30"E$ which falls on Survey of India topo sheet No. 53F/5 on scale 1:50,000.

Area of Churdhar Wildlife Sanctuary= 55.52 sq. km

By Order

Principal Secretary (Forests) to the Government of Himachal Pradesh.

Endst. No As above

Dated Shimla-2 the 7th June, 2013

Copy forwarded to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P.
- 3. All the Heads of Departments of H.P.
- 4. The Principal Chief Conservator of Forests, H.P. Shimla-1
- 5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
- 6. All CCFs / DFOs (Wildlife) in H.P.
- 7. All the Deputy Commissioners in H.P.
- 8. All the CCFs/CFs /DFOs in H.P.
- 9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh.
- 10. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
- 11. The Controller H.P. Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Raj-Patra (Extra-ordinary) Five Copies of the Raj-Patra be sent to this Department.

12. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार वन विभाग

संख्याः एफ.एफ.ई.—बी—एफ.(6)—11 / 2005—II चूड़धार तारीख शिमला—2 7 जून, 2013 अधिसूचना

सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के अधीन अधिसूचना संख्याः एफ.एफ.ई.—बी—एफ.(6)—28/99 तारीख 1—11—1999 द्वारा 66.00 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र चूड़धार को वन्य जीव अभ्यारण्य के रुप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला आईए न0 139/2010 इन रिट पिटिशन सिविल न0 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एनवारनमैंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ—I बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्ज में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 7 मई, 2010 के अनुसरण में राज्य सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन आशय अधिसूचनाएं जारी की थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 5—8—2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने से पूर्व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिस प्रक्रिया का सम्यक् रूप से अनुसरण किया गया था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए न0 155 (पहले आईए न0 139 / 2010) में पारित आदेश तारीख 1—2—2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क, 35(4) एवं 36क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

और चूड़धार वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं के युक्तिकरण के परिणामस्वरुप मौके पर भू—क्षेत्र 66.70 वर्ग किलोमीटर में से 11.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (5 गांव नामतः बटेअरी, सतानी, नौहरा, चूराह एवं कांडा से समाविष्ट) को एतदद्वारा अभ्यारण्य में से निकाल दिया गया है । युक्तिकरण के पश्चात् 55.52 वर्ग किलोमीटर के शेष क्षेत्र से चूड़धार वन्य जीव अभ्यारण्य गठित होगा ।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन्य जीव और इसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रसारण या विकसित करने के प्रयोजन के लिए, 55.52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से चूड़धार वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करती हैं।

चूड़धार वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:

		<u> </u>	
क्रम	वन्य जीव	घटक	चूड़धार वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं
संख्या	अभ्यारण्य	i) जिला	
	का नाम	ii) वन मण्डल	
1	चूड़धार	i) सिरमौर एवं शिमला ii) शिमला (वन्य जीव) मण्डल	जित्तरः उत्तरी सीमा बाई धार के नजदीक पताल खड पर पुल व घाट गोदाम पुल से शुरु होती हुई बाई धार के साथ साथ बिन्दु 2655 मी० हो कर जोिक भैरोग संरक्षित वन अन्दर व सारा संरक्षित वन बाहर के बीच में से होती हुई रास्ते पर घुमाव बिन्दु से पताल खड की उदगम चोटी 3108 मी० के नजदीक तक । पूर्वः बिन्दु 3108 मी० के नजदीक से आगे भनाल व चूड़धार मन्दिर से आने वाले रास्तों के दोराहे की ओर आगे बिन्दु 3387 फिर चूड़धार मन्दिर परिसर को बाहर करते हुए बिन्दु 3647 मी० से होती हुई पाल का पास जिला शिमला व सिरमौर की सीमा के साथ साथ ऊचैन टिब्बा 3544 मी० फिर ऊचैन धार के साथ साथ बिन्दु 3506 मी० व रास्ते के साथ साथ एनी धार, काकरालानी धार फिर खूरधार को मुड़ती है जो रिऊंडार का खाला अन्दर व बैरवों का खाला बाहर के जल संग्रहण

के क्षेत्र को अलग करते हुए बिन्दु 2249 मी0 तक।

दक्षिण: दक्षिणी सीमा खुरधार पर बिन्दु 2249 मी० से आगे चौरास, खिलांग और घलवारी देहात व निजि भूमि को बाहर करते हुए आरक्षित वन की सीमा थांगा से कोटियान होती हुई राणा का खाले में ऊपर की तरफ शरयाल्टा और कचूंज का पत्थर तथा सिधाल गांव को बाहर करते हुए धार को पार कर के बिन्द् 2481 मी0 व घिना का खाला पार करते हुए वन सीमा के साथ साथ बराऊ धार के दोनो तरफ की निजि भूमि को बाहर करते हुए खनातियान के बाहर से चोटी 2700 मी0, फिर आगे संरक्षित वन की सीमा के साथ सतानी. ड्ंगसार, बटयोरी आरक्षित वन व गांव को बाहर करते हुए हरिपुर धार व नौहरा रोड़ के साथ साथ मरोरी के नीचे नालो को पार कर के कांडा व लगते गांव की निजि भूमि तथा देहात के बाहर से मारका का खाला व रोड़ तक ।

पश्चिमः पश्चिमी सीमा मारका का खाला सड़क से शुरु हो कर धार पर ऊपर बिन्दु 2962, झुलहासन टिब्बा 3355 मी0, 3342 मी0 और 3394 मी0 शिमला व सिरमौर की सीमा पर फिर इसी जिला सीमा पर थोड़ा आगे चल कर कोकली धार पर मुड़ते हुए बिन्दु 2946 मी0 नीचे की तरफ पताल खड उत्तरी सीमा की शुरुआत गोदाम पुल तक।

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थितिः उत्तर अक्षांश 30 $^{\circ}$ 54' 44" उत्तर और देशान्तर 77 $^{\circ}$ 27' 49" पूर्व । पूर्व अक्षांश 30 $^{\circ}$ 52' 24" उत्तर और देशान्तर 77 $^{\circ}$ 29' 45" पूर्व । दक्षिण अक्षांश 30 $^{\circ}$ 48' 39" उत्तर और देशान्तर 77 $^{\circ}$ 27' 39" पूर्व और पश्चिम अक्षांश 30 $^{\circ}$ 51' 00" उत्तर और देशान्तर 77 $^{\circ}$ 23' 30" पूर्व । यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर 53एफ / 5, (पैमाना 1:50000) पर दर्शाया गया है ।

क्षेत्रफलः 55.52 वर्ग कि0मी0

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार । पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि

दिनांक शिमला-2, 7 जून, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश-शिमला-2
- 2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश ।
- 3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला-1
- 5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश–शिमला–1
- 6. समस्त मुख्य अरण्यपाल / वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश ।
- 7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
- 8. समस्त मुख्य अरण्यपाल / अरण्यपाल / वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश ।
- 9. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 10. आयुक्त नगर निगम शिमला हिमाचल प्रदेश ।
- 11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला—5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां छापी जावें ।

12. गार्ड फाइल ।

अवर सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार ।